15.10.18	वकील अपी. उप. 1. बहस सुनी- व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी-वादिगण ने प्रकरण में निगम निधि 12.05.16 के स्थान पर दि. 10.6.16 को

वादी अपी. की. अनुपस्थिति में उसे सुना बिना निर्णय पारित कर मासदी दर स्थान की दिया है जो प्राकृतिक न्याय व विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है अतएव अपीलार्थी-वादिगण का निर्णय अपास्त कर प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवा विधिक निर्णय पारित दान को प्रकरण अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है. विस्तृत सुनाया फैसला पी. आदेश सुनाया.

उप-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)